UPPSC मुख्य परीक्षा विशेष

सामान्य अध्ययन

प्रश्न पत्र–VI

नवीनतम संशोधित पाठ्यक्रम पर आधारित

➔ सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-VI के नवीनतम पाठ्यक्रम में निहित 22 विषय वस्तुओं पर विस्तृत अध्ययन सामग्री

➔ पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित प्रश्नों की प्रकृति पर आधारित सामग्रियों की प्रस्तुति

➔ विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के साथ

संपादक
एन. एन. ओझा

लेखक
डॉ. श्याम सुन्दर पाठक
(सहायक आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश)
(प्रेरण व्याख्याता, कवि, कैरियर व लाइफ कोच)

CHRONICLE
Nurturing Talent Since 1990

पुस्तक के संबंध में

प्रस्तुत पुस्तक यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा में नवीनतम शामिल किए गए सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र VI के पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार किया गया है। पुस्तक में प्रश्न पत्र VI से सम्बंधित सभी 22 विषय वस्तुओं पर विस्तृत रूप में सामग्रियों को प्रस्तुत किया गया है। हाल ही में, आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक स्तर के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं, जिनमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, वे भी इन्हीं विषय वस्तुओं पर आधारित थे। अत: यह मुख्य परीक्षा के साथ-साथ प्रारंभिक स्तर के परीक्षाओं के लिए भी सामान रूप से उपयोगी है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र VI में उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित आर्थिक परिदृश, व्यापार एवं वाणिज्य, सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएँ, ऊर्जा संसाधन, कृषि, पर्यावरण, औद्योगिक विकास एवं जनसंख्या व जनांकिकी आदि विषयों को शामिल किया गया है। इन विषयों के माध्यम से आयोग परीक्षार्थियों से समस्याओं व चुनौतियों का प्रभाव व समाधान जानने की अपेक्षा रखता है। पुस्तक में इन सारे विषयों को तथ्यात्मक एवं विवरणात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। छात्र सम्बंधित विषय – वस्तुओं पर उपलब्ध कराई गई सामग्रियों का उपयोग मुख्य परीक्षा के दौरान अपने उत्तर लेखन में कर सकते हैं। पुस्तक में विषयों को प्रश्न पत्र की प्रकृति के अनुरूप समसामयिक मुद्दों से जोड़ कर लिखा गया है। साथ ही इस पुस्तक में विगत वर्षों में सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, 2 एवं 3 के अंतर्गत पूछे गए उत्तर प्रदेश विशेष से सम्बंधित प्रश्नों को भी शामिल किया गया है, जिसका मूल उद्देश्य छात्रों को पाठ्यक्रम में सम्मलित किए गए इस नवीनतम प्रश्न पत्र की बारीकियों को समझाना है।

यह पुस्तक मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र VI के अतिरिक्त राज्य में आयोजित की जाने वाली वस्तुनिष्ठ व विवरणात्मक प्रकार की सभी प्रारंभिक व मुख्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी; जैसे समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (सामान्य/विशेष चयन), प्रवक्ता परीक्षा राजकीय इंटर कॉलेज, संभागीय निरीक्षक (प्रावधिक) परीक्षा, सम्मलित अवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन) प्रतियोगिता परीक्षा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड तथा अन्य सभी राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली समकक्ष प्रतियोगिता परीक्षाएं आदि।

यह पुस्तक उत्तर प्रदेश से सम्बंधित जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक सामान्य जागरुक पाठकों, विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे छात्रों, शोधार्थियों एवं साक्षात्कार की तैयारी करने वाले पाठकों के लिए भी सामान रूप से उपयोगी है।

आशा है कि यह पुस्तक छात्रों के लिए उनकी सफलता का मार्गदर्शक साबित होगी ।

संपादक

अनुक्रमणिका

1. उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य : अर्थव्यवस्था एवं राज्य बजट की मुख्य विशेषताएं, बुनियादी ढांचा एवं भौतिक संसाधनों का महत्व 1–8

- उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 1
- स्टेट जीडीपी ग्रोथ 1
- कर राजस्व एवं पूंजीगत व्यय 2
- व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास 2
- पशुपालन 2
- दुग्ध विकास 3
- कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान 3
- नगर विकास 3
- आवास एवं शहरी नियोजन 3
- ऊर्जा 3
- नागरिक उड्डयन 3
- नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति 3
- सिंचाई एवं जल संसाधन 3
- सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम् तथा निर्यात प्रोत्साहन 3
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य 4
- अवस्थापना 4
- सामाजिक सुरक्षा 4
- रोजगार 4
- महिला एवं बाल विकास 4
- पर्यटन 5
- रेल बजट 5
- वन बजट 6
- उत्तर प्रदेश के भौतिक संसाधनों का महत्व 6
- कृषि तथा संवर्गीय क्षेत्र 7
- उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था की विशेषताएं 8

2. यूपी के व्यापार, वाणिज्य और उद्योग 9–20

- कृषि 9
- कपड़ा 10
- उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प उद्योग 13
- पर्यटन 15
- उत्पादन 16
- व्यापार 17
- सूचना प्रौद्योगिकी 18

3. उत्तर प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, परियोजनाएं एवं नियोजित विकास, मानव संसाधन एवं कौशल विकास 21–30

- 'फैमिली आईडी' पोर्टल 21
- यूपी ग्लोबल सिटी अभियान 21
- मथुरा-वृंदावन 'शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन' पर्यटन स्थल 21
- उत्तर प्रदेश की पहली महिला पीएसी बटालियन 21
- पंचामृत योजना 22
- उत्तर प्रदेश में पहली शिक्षा टाउनशिप 22
- परिवार कल्याण कार्ड 22
- फैमिली कार्ड 22
- खाद्य वन परियोजना 22
- भातखंडे संगीत संस्थान डीम्ड विश्वविद्यालय को सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा 23
- गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी 23
- मासिक पेंशन योजना 23
- उ. प्र. गो-संरक्षण एवं संवर्द्धन कोष 23
- उत्तर प्रदेश: सतत विकास लक्ष्य-2030 23
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 24
- कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड योजना 24
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 24
- उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना 24
- निर्भया: एक पहल 25
- उत्तर प्रदेश गोपालक योजना 25
- गंगा हरीतिमा योजना 25
- एक जिला एक उत्पाद योजना 26
- प्रकाश है तो विकास है 26
- हेलीकॉप्टर सेवा योजना 27
- उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना 27
- मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना 27
- उत्तर प्रदेश दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना 28
- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 28
- किसान क्रेडिट कार्ड योजना 29
- मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्द्धन योजना 29
- कन्या सुमंगला योजना 30
- मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना 2022 30

- मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 2022 30
- बीसी सखी योजना 30

4. उत्तर प्रदेश में निवेश : मुद्दे और प्रभाव.... 31–33

- बुनियादी ढांचे की कमी..... 31
- जटिल विनियामक वातावरण 31
- कुशल श्रम की कमी 31
- नई औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022..... 32

5. उत्तर प्रदेश में लोक वित्त और राजकोषीय नीति, कर एवं आर्थिक सुधार, एक जिला एक उत्पाद नीति..... 34–38

- राजस्व स्रोत 34
- केंद्रीय स्थानान्तरण..... 34
- गैर–कर राजस्व 34
- व्यय..... 35
- बजट..... 35
- राजकोषीय नीति..... 36
- आर्थिक सुधार..... 36
- "एक जनपद एक उत्पाद" (ODOP) नीति 37
- राजस्व या लोकवित्त का क्षेत्र 37

6. उत्तर प्रदेश के नवीकरणीय और गैर–नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की योजना और प्रबंधन..... 39–47

- उत्तर प्रदेश के अक्षय ऊर्जा संसाधन 39
- उत्तर प्रदेश की नेट मीटरिंग पॉलिसी..... 40
- उत्तर प्रदेश में सौर जल पंप..... 40
- उत्तर प्रदेश के गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन..... 40
- उत्तर प्रदेश की तेल रिफाइनरी..... 41
- सुपरक्रिटिकल तकनीक 42
- अल्ट्रा–सुपरक्रिटिकल तकनीक..... 43
- उत्तर प्रदेश में गैर–परंपरागत ऊर्जा स्रोत..... 44
- बायोगैस तथा बायोमास ऊर्जा एवं तत्संबंधी संयंत्र..... 45
- ताप विद्युत उत्पादन 46
- जल विद्युत उत्पादन..... 46

7. उत्तर प्रदेश राज्य नवीन वन नीति 48–54

- संरक्षण, विकास तथा वैज्ञानिक एवं सुविचारित प्रबंधन द्वारा विद्यमान प्राकृतिक एवं रोपित वनों का सुधार..... 48
- प्रदेश की विभिन्न प्रकार की अवक्रमित भूमि..... 48
- वनवासी केंद्रित वन प्रबंधन पर विशेष जोर..... 49
- निजी भूमि पर सामाजिक और कृषि वानिकी वृक्षारोपण द्वारा वृक्षारोपण में वृद्धि..... 49
- अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार लगाए जाने वाले वृक्षारोपण पर कार्बन क्रेडिट प्राप्त करना 49
- मिट्टी के कटाव पर नियंत्रित उपायों के माध्यम से पानी और जलाशयों की गाद तथा बाढ़ और सूत्र के प्रभाव को कम करने के लिए प्रयास करना..... 50
- गैर–वन भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना..... 50
- राज्य में जैव विविधता और वन्य जीवन के संरक्षण और सुधार..... 51
- ईको टूरिज्म डेस्टिनेशन..... 51
- उत्तर प्रदेश में वन विकास योजनाएं..... 52
- वैज्ञानिक वन प्रबंधन..... 54

8. उत्तर प्रदेश की कृषि और सामाजिक वानिकी 55–58

- उत्तर प्रदेश में कृषि वानिकी..... 55
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना उत्तर प्रदेश..... 55
- उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 56
- उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी 56
- संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश..... 57
- उत्तर प्रदेश में वानिकी की समस्या एवं निदान 58

9. उत्तर प्रदेश में कृषि विविधता, कृषि की समस्याएं एवं उनका समाधान 59–65

- उत्तर प्रदेश में कृषि की समस्याएं..... 59
- उत्तर प्रदेश की कृषि समस्याओं का समाधान 62
- किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की स्थापना.... 64
- जैविक खेती को बढ़ावा..... 65
- उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019..... 65

10. उत्तर प्रदेश का भूगोल – भौगोलिक स्थिति, उच्चावच एवं संरचना, जलवायु, सिंचाई, खनिज, अपवाह प्रणाली एवं वनस्पति..... 66–76

- उत्तर प्रदेश की जलवायु..... 66
- उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियां..... 69
- हिमालय से निकलने वाली नदियां..... 69
- गंगा के मैदान से निकलने वाली नदियां..... 70
- प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां..... 70

11. उ.प्र. में परिवहन एवं संचार 77–86

- सड़क परिवहन..... 77
- उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण..... 78
- उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा नीति–2014..... 81
- उत्तर प्रदेश में वायु परिवहन..... 81
- उत्तर प्रदेश में जल परिवहन..... 83
- रेल परिवहन..... 84

12. उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, शक्ति संसाधन व अधोसंरचना..... 87–94

- उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास..... 87
- विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)..... 89
- उत्तर प्रदेश की अधोसंरचना विकास परियोजनाएँ..... 89
- उत्तर प्रदेश में औद्योगिक स्थिति, औद्योगिक विकास व उसके कारक 90
- उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास अवस्थापना संबंधी सुविधाएं 92
- उत्तर प्रदेश के प्रमुख निर्यातक केंद्र..... 94

13. उत्तर प्रदेश में प्रदूषण और पर्यावरण के मुद्दे 95–100

- उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण..... 95
- उत्तर प्रदेश में वनों की कटाई..... 96
- उत्तर प्रदेश में अपशिष्ट प्रबंधन..... 96
- उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन..... 96
- उत्तर प्रदेश के औद्योगिक प्रदूषण का विनियमन..... 97
- यूपीपीसीबी द्वारा खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन..... 98

14. उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन मिट्टी, पानी, हवा, जंगल, घास के मैदान, आर्द्रभूमि.. 101–113

- उत्तर प्रदेश की मृदाएँ..... 101
- उत्तर प्रदेश के घास के मैदान..... 103
- उत्तर प्रदेश के जल संसाधन..... 104
- उत्तर प्रदेश की आर्द्रभूमि..... 107
- गंगा के विशाल मैदान की मृदा..... 109
- ऊपरी गंगा नदी..... 112
- सरसई नावर झील..... 112
- नवाबगंज पक्षी विहार..... 112
- सांडी पक्षी विहार..... 112
- समसपुर पक्षी विहार..... 112
- पार्वती आगर पक्षी विहार..... 112

15. उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन और मौसम पूर्वानुमान से संबंधित मुद्दे.....114–118

- परिचय..... 114
- उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन..... 114
- उत्तर प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान..... 114

16. उत्तरप्रदेश के संदर्भ में आवास और पारिस्थितिकी तंत्र, संरचना और कार्य, समायोजन, वनस्पति और जीव 119–123

- परिचय..... 119
- पर्यावास और पारिस्थितिकी तंत्र..... 119
- वनस्पति और जीव..... 120
- प्रदेश में वन्य प्राणी संरक्षण..... 121
- पर्यावरण निदेशालय की स्थापना के उद्देश्य, कर्तव्य एवं दायित्व..... 122

17. उत्तर प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसके मुद्दे, प्रगति और प्रयास..... 124–130

- उत्तर प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी..... 124
- उत्तर प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति..... 125
- उत्तर प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयास..... 125
- प्रौद्योगिकी विकास..... 125
- उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी..... 127

18. उत्तर प्रदेश में मत्स्य, अंगूर, रेशम, फूल, बागवानी एवं पौध उत्पादन तथा उत्तर प्रदेश के विकास में इनका प्रभाव..... 131–135

- उत्तर प्रदेश में मत्स्य उत्पादन..... 131
- उत्तर प्रदेश सरकार की पहल..... 134
- उत्तर प्रदेश में बागवानी..... 134
- उत्तर प्रदेश में आर्बोरिक संस्कृति (वृक्षसंवर्द्धन)..... 135

19. उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) का विकास..... 136–143

- परिचय..... 136
- उत्तर प्रदेश में हेल्थकेयर का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल..... 136
- उत्तर प्रदेश की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में पीपीपी मॉडल..... 136
- उत्तर प्रदेश की माध्यमिक स्वास्थ्य सेवा में पीपीपी मॉडल..... 137
- उत्तर प्रदेश की डायग्नोस्टिक सेवाओं में पीपीपी मॉडल..... 137
- उत्तर प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा में पीपीपी मॉडल..... 138
- उत्तर प्रदेश में डेयरी उद्योग के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल..... 138
- उत्तर प्रदेश में शिक्षा के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल..... 139
- उत्तर प्रदेश में ट्रांसपोर्ट के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल..... 139
- उत्तर प्रदेश का बस परिवहन पीपीपी मॉडल..... 139
- उत्तर प्रदेश का मेट्रो रेल पीपीपी मॉडल..... 140
- उत्तर प्रदेश में टोल रोड पीपीपी मॉडल..... 140
- उत्तर प्रदेश का फ्रेट टर्मिनल पीपीपी मॉडल..... 141
- उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल..... 141

- कैप्टिव पॉवर प्लांट उत्तर प्रदेश का पीपीपी मॉडल..142
- उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन का सार्वजनिक-निजी वितरण फ्रेंचाइजी मॉडल.....143

20. उत्तर प्रदेश राज्य के पक्षी एवं वन्य जीव विहार..... 144–147

- चंद्र प्रभा पक्षी वन्य जीव अभयारण्य.....144
- प्राणि उद्यान.....147

21. उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकासीय सूचकांक 148–150

- सुशासन सूचकांक 2021.....148
- भारत नवाचार सूचकांक 2021.....148
- मानव विकास सूचकांक (एचडीआई).....149
- लिंग विकास सूचकांक (जीडीआई).....149
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स.....149
- हैप्पीनेस इंडेक्स.....149
- करप्शन परसेप्शन इंडेक्स.....150

22. उत्तर प्रदेश की जनांकिकी, जनसंख्या एवं जनगणना 151–156

- अंतिम प्रादेशिक जनगणना 2011----------151
- 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार.....151
- प्रदेश की कुल जनसंख्या - 2011 ----------151
- नगर निगम क्षेत्र में आबादी के हिसाब से तीन सबसे बड़े नगर.....151
- सर्वाधिक आबादी वाले पाँच जिले.....152
- सबसे कम आबादी वाले पाँच जिले.....152
- दशकीय वृद्धि दर : 2011 ----------152
- शीर्ष पाँच दशकीय वृद्धि दर वाले जिले.....152
- जनसंख्या घनत्व 2011 ----------152
- शीर्ष पाँच जनसंख्या घनत्व वाले जिले.....153
- न्यूनतम पांच जनसंख्या घनत्व वाले जिले.....153
- साक्षरता दर 2011----------153
- न्यूनतम साक्षरता (महिला) वाले 5 जिले.....153
- सर्वाधिक साक्षरता (महिला) वाले 5 जिले.....153
- शीर्ष पाँच लिंगानुपात वाले जिले.....154
- न्यूनतम पाँच लिंगानुपात वाले जिले.....154
- उत्तर प्रदेश : ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या.....154
- अनुसूचित जातियाँ : 2011----------155
- अनुसूचित जनजातियाँ : 2011 ----------155
- धर्म आधारित जनगणना.....155
- उ. प्र. जनसंख्या नीति, 2000 ----------156

23. उ.प्र. विशेष : विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न .. 157–168

■■■

01
अध्याय

उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य : अर्थव्यवस्था एवं राज्य बजट की मुख्य विशेषताएं, बुनियादी ढांचा एवं भौतिक संसाधनों का महत्व

उत्तर प्रदेश बजट 2023-24

- उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा 22 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु बजट पेश किया गया।
- वर्ष 2023-24 का बजट उत्तर प्रदेश सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट है।
- बजट का कुल आकार 6,90,242.43 करोड़ रुपए है। इस बजट में 32,721.96 करोड़ की नई योजना सम्मिलित की गई है।

उत्तर प्रदेश में बढ़ता बजट का आकार

वित्तीय वर्ष धनराशि लाख करोड़ रुपए

- 2016-17 - 3.46
- 2017-18 - 3.84
- 2018-19 - 4.28
- 2019-20 - 4.79
- 2020-21 - 5.12
- 2021-22 - 5.50
- 2022-23 - 6.15
- 2023-24 - 6.90
- बजट में कुल व्यय में 5,02,354.01 करोड़ राजस्व लेखे का व्यय तथा 1,87,88,42 करोड़ पूंजी लेखे का व्यय किए जाने का प्रावधान किया गया है।

उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 की केंद्र बिंदु/थीम

- वित्त वर्ष 2023-24 के बजट का केंद्र बिंदु/थीम "त्वरित, सर्वसमावेशी और समग्र विकास" की तर्ज पर "आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश" पर रखा गया है।
- वित्त वर्ष 2022-23 के बजट का केंद्र बिंदु "आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश व अंत्योदय की संकल्पना" था।
- वर्ष 2021-22 के बजट का केंद्रबिंदु/थीम "प्रदेश के समग्र एवं समावेशी विकास द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों का "स्वावलंबन से सशक्तिकरण" था। वित्तीय वर्ष 2017-18 का बजट किसानों को, 2018-19 का बजट औद्योगिक विकास को, 2019-20 का बजट महिलाओं के सशक्तिकरण को तथा 2020-21 का बजट युवाओं की शिक्षा, कौशल संवर्धन, रोजगार, मूलभूत अवस्थापना तथा त्वरित न्याय को समर्पित था।
- देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 8% से अधिक है।
- वर्ष 2021-22 में प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई है जो देश की विकास दर से भी अधिक रही है।
- वर्ष 2023 के लिए जीएसडीपी की वृद्धि दर 19% अनुमानित की गई है। वैश्विक मंदी के दौर में प्रदेश की अर्थव्यवस्था का विकास विभिन्न योजनाओं को आरंभ किया गया है। वर्ष 2017 से पूर्व प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4% थी जो वर्तमान में घटकर 4.2% हो गई है।

उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट

- प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 10 से 12 फरवरी 2023 के मध्य सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था। इस समिट के आयोजन के पूर्व प्रदेश सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल 16 देशों के 21 शहरों में भेजे गए थे, उनके द्वारा व्यापारिक समुदाय को प्रदेश में निवेश की संभावनाओं के संबंध में अवगत कराया गया और इसी थीम के आधार पर वहां रोड शो आयोजित किए गए।
- इन 16 देशों में अमेरिका, कनाडा, यूके, जर्मनी, बेल्जियम नीदरलैंड्स, मैक्सिको, ब्राजील, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि शामिल थे।

प्रथम स्थान

- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के अंतर्गत आवास निर्माण, ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण, सूक्ष्म, लघु एवम् मध्यम उद्योगों की स्थापना, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत "इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कांटेस्ट" में तथा पी. एफ. एम. एस. पोर्टल द्वारा डी. बी. टी. के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि स्थानांतरण करने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है।
- चीनी उत्पादन की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
- कृषि निवेश पर किसानों को अनुदान डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है।
- कोरोना से बचाव हेतु 39.20 करोड़ से अधिक डोज लगाने वाला उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। तथा चिकित्सा शिक्षण संस्थान स्थापित कर संचालित करने वाला देश का प्रमुख राज्य बन गया है।
- भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप रैंकिंग के तहत "इंस्पायरिंग लीडर" के रूप में उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया है।
- उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।

स्टेट जीडीपी ग्रोथ

- पिछले 7 सालों में प्रदेश के बजट का आकार सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) से भी दोगुना होने के आसार हैं।
- वर्ष 2016-17 में प्रदेश का जीएसडीपी 12,47,658 करोड़ था जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 24,39,171 करोड़ पर पहुंचने का अनुमान है।

02
अध्याय

यूपी के व्यापार, वाणिज्य और उद्योग

उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और कृषि, कपड़ा, पर्यटन और विनिर्माण जैसे विभिन्न उद्योगों के साथ एक विविध प्रकार की अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। यह भारत के उत्तरी भाग में स्थित है और बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा सहित कई अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है।

कृषि

कृषि क्षेत्र उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह भारत का एक महत्वपूर्ण कृषि प्रधान राज्य है। राज्य की लगभग 64% आबादी कृषि से संबंधित गतिविधियों में लगी हुई है।

- उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 23% का योगदान देता है और राज्य की 60% से अधिक आबादी को रोजगार प्रदान करता है।
- उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं, चावल, गन्ना और आलू के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। राज्य आम, अमरूद और केले सहित बड़ी मात्रा में फल और सब्जियां भी पैदा करता है।
- उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं, चावल, गन्ना और दालों जैसे खाद्यान्न के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। राज्य फलों, सब्जियों और मसालों का भी उत्पादन करता है, साथ ही दूध तथा डेयरी उत्पादों का एक प्रमुख उत्पादक है।
- कृषि व्यापार के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादों जैसे गेहूं, चावल, चीनी और ताजे फल तथा सब्जियों को भारत के अन्य राज्यों और अन्य देशों में निर्यात करता है।
- राज्य उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे कृषि उत्पादों का भी आयात करता है।
- उत्तर प्रदेश में कई कृषि बाजार या मंडियां हैं, जहां किसान अपनी उपज बेच सकते हैं।
- राज्य सरकार ने इन मंडियों के कामकाज को विनियमित करने और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (UPSAMB) की स्थापना की है।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कृषि को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए कई पहल की हैं। इनमें से कुछ पहलों में कृषि-प्रसंस्करण समूहों की स्थापना, जैविक खेती को बढ़ावा देना, कृषि मशीनरी की खरीद के लिए सब्सिडी प्रदान करना और किसानों को उनकी उपज को स्टोर करने में मदद करने के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं विकसित करना शामिल हैं।
- कुल मिलाकर, कृषि व्यापार उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और राज्य सरकार इस क्षेत्र को बढ़ावा देने और किसानों के हितों का समर्थन करने के लिए कई कदम उठा रही है।

उत्तर प्रदेश में कृषि संबंधी तथ्य

- उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित है।
- उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना 1992 में आरंभ की गई।
- उत्तर प्रदेश में चकबन्दी योजना की शुरूआत 1954 में की गई थी।
- उत्तर प्रदेश में सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर (1830) है।
- उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर शारदा सहायक नहर प्रणाली है।
- उत्तर प्रदेश में किसान रथ योजना 2010-11 में आरंभ की गई।
- उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 406 ग्राम प्रतिदिन (2019-20) है।
- उत्तर प्रदेश में 'राज्य दुग्ध परिषद' की स्थापना 1976 में की गई।
- गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन से संबंधित है।
- उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात जोन की संख्या 3 (आगरा-आलू; लखनऊ- आम; सहारनपुर - आम) है।
- उत्तर प्रदेश में सकल सिंचित क्षेत्रफल 209 लाख हेक्टेयर है।
- उत्तर प्रदेश में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 142.3 लाख हेक्टेयर है।
- कुल सृजन योग्य सिंचन क्षमता 367 लाख हेक्टेयर है।

प्रदेश में मण्डी समितियों की कार्य प्रगति

- नियमित समीक्षा द्वारा कर चोरी पर लगाम के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2022-23 (नवम्बर, 2022 तक) मण्डी समितियों की कुल आय रू. 972.12 करोड़ हो चुकी है, जो कि गत वर्ष की समान अवधि से रू. 610.49 करोड़ अधिक है।
- गड़ढामुक्तिकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिसम्बर, 2022 तक 445.12 कि.मी. सम्पर्क मार्ग रू. 58.94 करोड़ की लागत से पूर्ण रूप से नवीनीकृत/ब्लैक टॉप कराया गया।
- भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नैम) के अन्तर्गत कृषकों को उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए प्रदेश की 125 मण्डियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिसम्बर, 2022 तक रू. 1148.93 करोड़ का डिजिटल व्यापार किया गया है।
- मण्डी समितियों के आन्तरिक कार्यो को भी ऑनलाइन करने की दिशा में ई-मण्डी योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 17,962 ई-लाईसेन्स निर्गत किये गये हैं एवं ई-मण्डियों में 11 लाख से अधिक प्रपत्र ऑनलाइन निर्गत की गयी।

03
अध्याय

उत्तर प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, परियोजनाएं एवं नियोजित विकास, मानव संसाधन एवं कौशल विकास

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने लोगों के कल्याण, मानव संसाधन विकास और कौशल विकास के उद्देश्य से कई परियोजनाएं और पहल शुरू की हैं।

इनमें से कुछ परियोजनाएं निम्नवत हैं:

'फैमिली आईडी' पोर्टल

हाल ही में, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के परिवारों के लिए सरकारी योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल- 'फैमिली आईडी-वन फैमिली वन आइडेंटिटी' (Family ID-One Family One Identity) लॉन्च किया है।

प्रमुख बिंदु :

- इस पोर्टल का उद्देश्य उन परिवारों को मुफ्त या सस्ता राशन उपलब्ध कराना है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
- पोर्टल के माध्यम से परिवार अपनी आईडी निर्मित करके योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।
- जिन लोगों के पास पहले से आईडी है उनके लिए परिवार आईडी 'राशन कार्ड आईडी' के समान मानी जाएगी।
- अन्य व्यक्तियों के लिए पोर्टल के माध्यम से आईडी जनरेट की जाएगी और सभी परिवारों को एक विशिष्ट पहचान प्रदान की जाएगी।
- यह पोर्टल उत्तर प्रदेश में परिवारों का एक व्यापक डेटाबेस तैयार करेगा।
- परिवार के सदस्यों द्वारा इस आईडी का उपयोग जाति तथा जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता है।

यूपी ग्लोबल सिटी अभियान

10 जनवरी, 2023 को लखनऊ में 'लखनऊ इनवेस्टर्स समिट' (Lucknow Investors Summit) में उत्तर प्रदेश सरकार ने 100 दिन का 'यूपी ग्लोबल सिटी' (UP Global City) अभियान की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु:

- इसका उद्देश्य राज्य में शहरी क्षेत्रों को वैश्विक मानकों तक लाना है, जिसमें शहरी सुविधाओं में सुधार, वायु गुणवत्ता, स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण के साथ-साथ उचित कचरा निपटान पर ध्यान केंद्रित करना है।
- इस अभियान को राज्य के सभी 762 नगरीय निकायों में लागू किया जाएगा।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 'यूपी ग्लोबल सिटी' अभियान के अलावा 'स्वच्छ ढाबा अभियान' (Clean Dhaba Campaign) भी चलाया जा रहा है।
- यह अभियान होटल, रेस्तरां और ढाबों में उचित कचरा निपटान पर केंद्रित है।

मथुरा-वृंदावन 'शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन' पर्यटन स्थल

नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा-वृंदावन को वर्ष 2041 तक 'शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन' (Net Zero Carbon Emission) वाला पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की। यह देश में किसी पर्यटन स्थल के लिए निर्धारित इस तरह का पहला कार्बन न्यूट्रल मास्टर प्लान है।

- मथुरा-वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने के लिए संपूर्ण क्षेत्र को 4 समूहों में विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक समूह में आठ प्रमुख स्थलों में से दो स्थलों को सम्मिलित किया जाएगा।
- योजना में 'परिक्रमा पथ' नामक छोटे सर्किट बनाने का प्रस्ताव है, जिस पर तीर्थ यात्री पैदल या इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करके चल सकते हैं।
- कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए सरकार पूरे ब्रज क्षेत्र में निजी पर्यटक वाहनों के उपयोग को प्रतिबंधित कर सकती है। चिह्नित क्षेत्रों में केवल इलेक्ट्रिक पब्लिक परिवहन ही चलाए जाएंगे।
- क्षेत्र के सभी 252 जल निकायों और 24 वनों को पुनर्जीवित किया जाएगा, ताकि वे कार्बन सिंक के रूप में कार्य कर सकें।
- वृंदावन-मथुरा और गोकुल को जोड़ने वाले मौजूदा 24 किमी. के राष्ट्रीय जलमार्ग को भी विकसित किया जाएगा।
- उ. प्र. ब्रज तीर्थ विकास परिषद इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। उल्लेखनीय है, कि 'यूपी ब्रज तीर्थ विकास परिषद' का गठन उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2017 के अधीन किया गया है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है।

उत्तर प्रदेश की पहली महिला पीएसी बटालियन

उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य में पहली तीन महिला प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पीएसी) बटालियन की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

04
अध्याय

उत्तर प्रदेश में निवेश : मुद्दे और प्रभाव

उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और इसमें आर्थिक विकास तथा निवेश की जबरदस्त संभावनाएं हैं। हालांकि, राज्य में निवेश को फलने-फूलने के लिए कई मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है।

बुनियादी ढांचे की कमी

प्राथमिक मुद्दों में से एक पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी है। देश के उत्तरी भाग में रणनीतिक रूप से स्थित होने के बावजूद राज्य में खराब सड़क नेटवर्क, अपर्याप्त बिजली आपूर्ति और बंदरगाहों तक सीमित पहुंच है, जिससे व्यवसायों के लिए माल परिवहन और बाजारों तक पहुंच बनाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

- इसके अतिरिक्त, राज्य में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं, स्कूलों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं की कमी है, जो इसके समग्र विकास में बाधक है। निवेश को आकर्षित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, राज्य सरकार के लिए उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान देना आवश्यक है।
- यह सड़कों, पुलों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, बिजली संयंत्रों और अन्य आवश्यक सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण और उन्नयन में निवेश के माध्यम से किया जा सकता है।
- बुनियादी ढांचे के अंतर को दूर करके, उत्तर प्रदेश व्यवसायों को फलने-फूलने और निवेश आकर्षित करने के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बना सकता है जिससे दीर्घकालिक आर्थिक विकास हो सकता है।

जटिल विनियामक वातावरण

उत्तर प्रदेश (यूपी) में एक जटिल नियामक वातावरण है जिसे राज्य में संचालित व्यवसायों को नेविगेट करना चाहिए। यूपी में नियामक ढांचे में व्यवसाय निर्माण, भूमि अधिग्रहण, श्रम कानून, कराधान, पर्यावरण नियमों और अन्य सहित कई क्षेत्र शामिल हैं।

- यूपी में व्यवसायों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक परमिट और लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया है। राज्य में कई विभाग और एजेंसियां हैं जो लाइसेंस और परमिट देने के लिए जिम्मेदार हैं, और उनमें से प्रत्येक के अपने नियम और कानून हैं। इसका परिणाम अक्सर विलंब और उन व्यवसायों के लिए लालफीताशाही हो सकता है जो प्रारंभ या विस्तार करना चाहते हैं।
- परमिट और लाइसेंस प्रक्रिया के अलावा, यूपी में व्यवसायों को कई श्रम कानूनों और विनियमों का भी पालन करना चाहिए। इनमें न्यूनत्तम वेतन आवश्यकताएं, काम के घंटे, स्वास्थ्य और सुरक्षा मानक तथा अन्य कर्मचारी सुरक्षा शामिल हैं। इन नियमों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप जुर्माना या कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
- यूपी में व्यवसायों के लिए पर्यावरण नियम भी एक प्रमुख चिंता का विषय है। राज्य में अपशिष्ट निपटान, वायु और जल प्रदूषण तथा अन्य पर्यावरणीय मुद्दों के संबंध में सख्त नियम हैं।
- इन विनियमों का पालन करने में विफल रहने पर जुर्माना लगाया जा सकता है, व्यवसाय बंद किया जा सकता है, या यहां तक कि आपराधिक आरोप भी लगाए जा सकते हैं।
- कुल मिलाकर, यूपी में नियामक वातावरण व्यवसायों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, विशेष रूप से छोटी कंपनियों के लिए जिनके पास जटिल नियामक परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए संसाधन नहीं हो सकते हैं। हालांकि, राज्य सरकार ने हाल के वर्षों में प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए कदम उठाए हैं, और कई एजेंसियां और संगठन भी हैं जो यूपी में काम करने के इच्छुक व्यवसायों को सहायता प्रदान कर सकते हैं।
- राज्य सरकार को नियमों को सरल बनाने और व्यवसायों के लिए लाइसेंस और परमिट प्राप्त करना आसान बनाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, नौकरशाही लालफीताशाही और भ्रष्टाचार व्यापक हैं, जिससे व्यवसायों के लिए कुशलतापूर्वक संचालन करना मुश्किल हो जाता है।

कुशल श्रम की कमी

राज्य को कुशल श्रम की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है, खासकर विनिर्माण और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में। जो राज्य में संचालित व्यवसायों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बन सकता है। सरकार को कार्यबल की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

- एक बड़ी आबादी होने के बावजूद, राज्य पर्याप्त संख्या में कुशल श्रमिकों का उत्पादन करने के लिए संघर्ष करता है, और नियोक्ताओं के लिए आवश्यक कौशल और नौकरी चाहने वालों के कौशल के बीच अक्सर एक बेमेल होता है।
- कुशल श्रम की कमी का एक कारण यूपी में शिक्षा प्रणाली की स्थिति है। जबकि राज्य में कई स्कूल और कॉलेज हैं, शिक्षा की गुणवत्ता व्यापक रूप से भिन्न होती है, और कई छात्र नौकरी बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और कौशल प्राप्त नहीं करते हैं।

05
अध्याय

उत्तर प्रदेश में लोक वित्त और राजकोषीय नीति,कर एवं आर्थिक सुधार, एक जिला एक उत्पाद नीति

उत्तर प्रदेश सरकार का सार्वजनिक वित्त राज्य सरकार के राजस्व और व्यय प्रबंधन को संदर्भित करता है। राज्य सरकार विभिन्न स्रोतों जैसे कि कर, शुल्क, केंद्र सरकार से अनुदान और वित्तीय संस्थानों से उधार लेकर धन जुटाती है। इन निधियों का उपयोग तब विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि सामाजिक कल्याण कार्यक्रम, बुनियादी ढांचा विकास और प्रशासनिक व्यय। उत्तर प्रदेश सरकार के सार्वजनिक वित्त के कुछ प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं:

राजस्व स्रोत

उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न स्रोतों जैसे कर, शुल्क और केंद्र सरकार के अनुदान से राजस्व उत्पन्न करती है। राज्य सरकार के राजस्व के कुछ प्रमुख स्रोत हैं।

राज्य कर: उत्तर प्रदेश सरकार वैट, उत्पाद शुल्क, स्टांप शुल्क और मोटर वाहन कर जैसे विभिन्न कर लगाती है। जिनमें शामिल हैं।

मूल्य वर्धित कर (वैट): वैट राज्य के भीतर माल की बिक्री पर लगाया जाने वाला कर है। बेचे गए सामान के प्रकार के आधार पर वैट की दर अलग-अलग होती है।

केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी): सीएसटी एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की बिक्री पर लगाया जाने वाला कर है। सीएसटी की दर बेची गई वस्तुओं के प्रकार पर निर्भर करती है।

मनोरंजन कर: मनोरंजन कर फिल्मों, स्टेज शो और मनोरंजन के अन्य रूपों की प्रदर्शनी पर लगाया जाता है।

प्रोफेशनल टैक्स: प्रोफेशनल टैक्स राज्य के भीतर किसी पेशे, व्यापार या कॉलिंग में लगे व्यक्तियों पर लगाया जाता है।

स्टैंप ड्यूटी: स्टैंप ड्यूटी विभिन्न लेनदेन जैसे कि संपत्ति की खरीद, लीज एग्रीमेंट और अन्य कानूनी दस्तावेजों पर लगाई जाती है।

मोटर वाहन कर: राज्य के भीतर वाहनों के पंजीकरण पर मोटर वाहन कर लगाया जाता है।

केंद्रीय स्थानान्तरण

भारत की केंद्र सरकार बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक कल्याण योजनाओं और गरीबी उन्मूलन जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए राज्य सरकारों को विभिन्न अनुदान प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश, भारत में सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में से एक होने के नाते, केंद्र सरकार से भी अनुदान प्राप्त करता है।

भारत की केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को प्रदान किए जाने वाले कुछ प्रमुख अनुदानों में शामिल हैं:

राज्य वित्त आयोग अनुदान: ये अनुदान राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की सिफारिशों के तहत राज्य सरकारों को प्रदान किए जाते हैं। एसएफसी एक संवैधानिक निकाय है जो राज्य सरकार और स्थानीय निकायों, जैसे नगर पालिकाओं और पंचायतों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण पर सिफारिशें करता है। अनुदान का उद्देश्य स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ावा देना और उनकी विकासात्मक गतिविधियों का समर्थन करना है।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ): बीआरजीएफ एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य भारत में आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश, मुख्य रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़ा राज्य होने के नाते, इस योजना के तहत महत्वपूर्ण धन प्राप्त करता है। फंड का उपयोग विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों जैसे बुनियादी ढांचे के विकास, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन के लिए किया जाता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY): PMAY केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। उत्तर प्रदेश, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की एक बड़ी आबादी वाला राज्य होने के नाते, इस योजना के तहत महत्वपूर्ण धन प्राप्त करता है।

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए): एसएसए एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य भारत में बच्चों को सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। उत्तर प्रदेश, एक बड़ी आबादी और कम साक्षरता दर वाला राज्य होने के नाते, इस योजना के तहत महत्वपूर्ण धन प्राप्त करता है। फंड का उपयोग बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षक प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम विकास जैसी विभिन्न गतिविधियों का समर्थन करने के लिए किया जाता है।

- इन अनुदानों के अलावा, उत्तर प्रदेश को राज्य के समग्र विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं और कार्यक्रमों से भी धन प्राप्त होता है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि इन अनुदानों का लक्षित विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी और कुशलता से उपयोग किया जाता है।

गैर-कर राजस्व

उत्तर प्रदेश विभिन्न स्रोतों से गैर-कर राजस्व उत्पन्न करता है, जिनमें शामिल हैं:

शुल्क और चार्ज: राज्य सरकार राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क और चार्ज लेती है, जैसे लाइसेंस शुल्क, सार्वजनिक सेवाओं जैसे परिवहन, बिजली, पानी की आपूर्ति आदि के लिए उपयोगकर्ता शुल्क।

06
अध्याय

उत्तर प्रदेश के नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की योजना और प्रबंधन

उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की योजना और प्रबंधन के लिए सतत ऊर्जा विकास सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश उत्तरी भारत में एक आबादी वाला राज्य है और देश में बिजली के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है। राज्य के ऊर्जा मिश्रण में कोयला और गैस जैसे गैर-नवीकरणीय स्रोतों का प्रभुत्व है, लेकिन सरकार ने राज्य के ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।

- उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के कारण नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन और जल विद्युत में काफी संभावनाएं हैं। राज्य सरकार ने अक्षय ऊर्जा स्रोतों के विकास और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई पहल शुरू की हैं।
- ऐसी ही एक पहल उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति है, जिसका उद्देश्य 2022 तक राज्य की सौर ऊर्जा क्षमता को 10,700 मेगावाट तक बढ़ाना है। सरकार ने एक नेट मीटरिंग नीति भी लागू की है जो व्यक्तियों और संगठनों को सौर पैनल स्थापित करने और अतिरिक्त बिजली वापस बेचने की अनुमति देती है।
- सौर ऊर्जा के अलावा, राज्य ने अक्षय ऊर्जा के संभावित स्रोत के रूप में पवन ऊर्जा की भी पहचान की है। राज्य सरकार ने राज्य में पवन ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने के लिए कई कंपनियों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- गैर-नवीकरणीय ऊर्जा के मोर्चे पर, उत्तर प्रदेश में कई कोयला आधारित बिजली संयंत्र और प्राकृतिक गैस आधारित बिजली संयंत्र हैं। राज्य सरकार कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से उत्सर्जन को कम करने के लिए स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों जैसे सुपरक्रिटिकल और अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकी के उपयोग की भी संभावनाएं तलाश रही है।
- राज्य सरकार ने भी ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कई पहल शुरू की हैं। इनमें ऊर्जा-कुशल उपकरणों को बढ़ावा देना, ऊर्जा-कुशल बिल्डिंग कोड को अपनाना और मांग-पक्ष प्रबंधन कार्यक्रमों को लागू करना शामिल है।
- कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश सरकार अक्षय ऊर्जा स्रोतों के विकास को बढ़ावा देने और राज्य के ऊर्जा उपयोग की दक्षता में सुधार के लिए कदम उठा रही है। जबकि कुछ चुनौतियों का समाधान किया जाना है, जैसे कि बुनियादी ढांचे और निवेश की आवश्यकता, राज्य के लिए अपने ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने और सतत विकास को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण क्षमता है।

उत्तर प्रदेश के अक्षय ऊर्जा संसाधन

उत्तर प्रदेश राज्य में अक्षय ऊर्जा संसाधनों, विशेष रूप से सौर और पवन ऊर्जा के लिए एक विशाल क्षमता है। इन संसाधनों का दोहन करने के लिए, राज्य सरकार ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियों और योजनाओं की स्थापना की है।

- सरकार ने राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (UPNEDA) की भी स्थापना की है।
- अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहलों में शामिल हैं:
  - (i) **सोलर पार्क:** सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने राज्य में कई सोलर पार्क स्थापित कियें हैं। राज्य का सबसे बड़ा सोलर पार्क रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क है, जिसकी क्षमता 750 मेगावाट है।

उत्तर प्रदेश के सोलर पार्क: उत्तर प्रदेश अपनी विशाल सौर ऊर्जा क्षमता का दोहन करने के लिए राज्य में सौर पार्कों के विकास को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है।

सौर पार्क बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा परियोजनाएं हैं, जो एक ही स्थान पर विकसित की जाती है, आमतौर पर 500 मेगावाट या उससे अधिक की क्षमता के साथ। इन पार्कों को आधारभूत संरचना, भूमि और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करके सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।

उत्तर प्रदेश के कुछ सोलर पार्क हैं:

रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क: यह भारत के सबसे बड़े सोलर पार्कों में से एक है, जिसकी क्षमता 750 मेगावाट है। सौर पार्क रीवा जिले में स्थित है और 2018 में चालू किया गया था।

कानपुर सोलर पार्क: यह उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में स्थित 210 मेगावाट का सोलर पार्क है। परियोजना को 2020 में कमीशन किया गया था।

जालौन सोलर पार्क: यह उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित 250 मेगावाट का सोलर पार्क है। परियोजना निर्माणाधीन है और जल्द ही चालू होने की उम्मीद है।

चित्रकूट सोलर पार्क: यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित 225 मेगावाट का सोलर पार्क है। यह परियोजना विकास के अधीन है और 2022 में चालू होने की उम्मीद है।

07
अध्याय

उत्तर प्रदेश राज्य नवीन वन नीति

उत्तर प्रदेश राज्य ने राज्य वन नीति, 1998 के स्थान पर अक्टूबर, 2017 को अपनी नई राज्य वन नीति की घोषणा की।

राज्य वन नीति, 2017 के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. संरक्षण, विकास तथा वैज्ञानिक एवं सुविचारित प्रबंधन द्वारा विद्यमान प्राकृतिक एवं रोपित वनों का सुधार-

उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का एक राज्य है जो जंगलों सहित प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। राज्य के पास अपने भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 16% कुल वन क्षेत्र है, जिसमें प्राकृतिक वन और लगाए गए वन दोनों शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में मौजूदा प्राकृतिक और रोपित वनों को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं:

संरक्षण: वनों में सुधार की दिशा में पहला कदम मौजूदा प्राकृतिक वनों का संरक्षण करना है। यह अवैध कटाई, अतिक्रमण और शिकार को रोककर किया जा सकता है। राज्य सरकार को वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून और नियम लागू करने चाहिए।

विकास: वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को नए वनों के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। यह वनीकरण, वनीकरण और वृक्षारोपण अभियान द्वारा किया जा सकता है। राज्य सरकार को चाहिए कि वह निजी क्षेत्र को भी इन गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करे।

वैज्ञानिक प्रबंधन: राज्य सरकार को वनों की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार के लिए वैज्ञानिक और विचारशील वन प्रबंधन प्रथाओं को अपनाना चाहिए। इसमें चुनिंदा हार्वेस्टिंग, प्रूनिंग, थिनिंग और प्रिस्क्राइब्ड बर्निंग जैसी तकनीकें शामिल हैं।

सामुदायिक भागीदारी: वनों के सतत प्रबंधन के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार को समुदाय आधारित वन प्रबंधन को बढ़ावा देना चाहिए, जहां स्थानीय समुदाय निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हों और वनों के प्रबंधन और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हों।

इकोटूरिज्म: इकोटूरिज्म राज्य के लिए राजस्व का एक स्रोत हो सकता है और वनों के संरक्षण में भी मदद कर सकता है। राज्य सरकार को वन क्षेत्रों में इकोटूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए और नेचर ट्रेल्स, इकोलॉज और इंटरप्रिटेशन सेंटर जैसे बुनियादी ढांचे का विकास करना चाहिए।

- संक्षेप में, उत्तर प्रदेश में मौजूदा प्राकृतिक और लगाए गए वनों के सुधार के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें संरक्षण, विकास, वैज्ञानिक प्रबंधन, सामुदायिक भागीदारी और ईकोटूरिज्म शामिल हैं।

2. प्रदेश की विभिन्न प्रकार की अवक्रमित भूमि यथा-पृथक भूमि में वनरोपण एवं मृदा संरक्षण की योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन

वनीकरण और मृदा संरक्षण उत्तर प्रदेश में स्थायी वन प्रबंधन के आवश्यक घटक हैं। राज्य में ऊसर, खादर, खड्डों और खाली जंगलों सहित विभिन्न प्रकार की निम्नीकृत भूमि है, जिसके लिए विशिष्ट वनीकरण और मृदा संरक्षण उपायों की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार की निम्नीकृत भूमि में वनरोपण एवं मृदा संरक्षण की योजना के निर्माण एवं कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित कदम उठाये जा सकते हैं:

सर्वेक्षण और मानचित्रण: वनीकरण और मृदा संरक्षण के लिए एक योजना तैयार करने में पहला कदम राज्य में निम्नीकृत भूमि का सर्वेक्षण और मानचित्रण करना है। सर्वेक्षण में अवक्रमित भूमि के प्रकार, निम्नीकरण की सीमा और बहाली की क्षमता की पहचान करनी चाहिए।

उपयुक्त वृक्ष प्रजातियों का चयन: उपयुक्त वृक्ष प्रजातियों का चयन वनीकरण कार्यक्रमों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के वृक्षों की प्रजातियां विभिन्न प्रकार की निम्नीकृत भूमि के लिए उपयुक्त होती हैं।

उदाहरण के लिए, ऊसर भूमि के लिए, नमक-सहिष्णु प्रजातियां जैसे बबूल निलोटिका, प्रोसोपिस सिनेरेरिया और टैमरिक्स एफिला उपयुक्त हैं। खादर भूमि के लिए सैलिक्स बेबीलोनिका, पोपुलस डेल्टोइड्स और बबूल कत्था जैसी बाढ़-सहिष्णु प्रजातियां उपयुक्त हैं।

मृदा संरक्षण के उपाय: मिट्टी के कटाव को रोकने और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए मृदा संरक्षण के उपाय आवश्यक हैं। अवक्रमित भूमि के प्रकार के आधार पर कंटूर बंडिंग, छत की खेती और वनस्पति बाधाओं जैसे उपायों को लागू किया जा सकता है।

वृक्षारोपण डिजाइन और लेआउट: वृक्षारोपण डिजाइन और लेआउट अवक्रमित भूमि की स्थलाकृति और मिट्टी की विशेषताओं पर आधारित होना चाहिए। पेड़ों के बीच की दूरी, वृक्षारोपण पंक्तियों की चौड़ाई और पंक्तियों की दिशा की सावधानीपूर्वक योजना बनाई जानी चाहिए।

निगरानी और मूल्यांकन: वनीकरण और मृदा संरक्षण कार्यक्रमों की सफलता का आकलन करने के लिए निगरानी और मूल्यांकन महत्वपूर्ण हैं। लगाए गए पेड़ों की वृद्धि दर, उत्तरजीविता दर और बायोमास उत्पादन की नियमित रूप से निगरानी की जानी चाहिए।